(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 85 / 2022

पंजीकरण संख्या :– 2022 / 307

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री अरविन्द कुमार जैन पुत्र श्री छगन लाल उम्र 50 वर्ष जाति महाजन निवासी खजूरपुरा वार्ड, दीनदयाल पार्क बारॉ (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स–रूचि कन्फेक्शनर्स दीनदयाल पार्क बारॉ (राज.)
2. मैसर्स–रूचि कन्फेक्शनर्स दीनदयाल पार्क बारॉ (राज.)
3. श्री प्रदीप अग्रवाल पुत्र श्री सत्य नारायण (नोमिनी) मैसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड परिवर्तीत नाम पंतजली फूडस लिमिटेड एफ–152 इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया रोड नं. 05 झालावाड रोड कोटा।
4. मैसर्स रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड परिवर्तीत नाम पंतजली फूडस लिमिटेड एफ–152 इन्द्रप्रस्थ इण्डस्ट्रीयल एरिया रोड नं. 05 झालावाड रोड कोटा।
5. श्री सुशील चन्द्र पुत्र श्री आर.सी. श्रीवास्तव (नोमिनी) मैसर्स– रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड परिवर्तीत नाम पंतजली फूडस लिमिटेड सर्वे नं. 217 / 2 गांव मिठी रोहर गांधीधाम जिला कच्छ (गुजरात) 370240
6. मैसर्स– रूचि सोया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड परिवर्तीत नाम पंतजली फूडस लिमिटेड सर्वे नं. 217 / 2 गांव मिठी रोहर गांधीधाम जिला कच्छ (गुजरात) 370240

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) 51 एफएसएसएक्ट, 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)

2– श्री मनोज कुमार जैन अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 1 ता 6)

निर्णय दिनांक 02.02.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.07.2022 को मैसर्स– रूचि कन्फेक्शनर्स दीन दयाल पार्क बारॉ (राज.) पर पहुंचा। वहॉ श्री अरविन्द कुमार जैन पुत्र श्री छगनलाल महाजन (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 22.07.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक / एच / एफएसएसए / (एफ–28) / नोटिफिकेशन / 2012 / 172 दिनांक 01.02.2012 के अनुसार मुझे बास सील संख्या 93 आवंटित की गई एवं श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा [illegible] नियन्त्रण राज. जयपुर के आदेश दिनांक 09.06.2022 के द्वारा मुझे कार्यक्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.24 13:49:01 IST
Reason: SelfAttested

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहां [illegible] पाया कि आम जनता [illegible] विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ **वनस्पति (रूचि नं. 1) 500 एम.एल. मूल पॉली पैक** रखे हुये थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **वनस्पति (रूचि नं. 1) 500 एम. एल. मूल पॉली पैक** में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **वनस्पति (रूचि नं. 1) 500 एम.एल. मूल पॉली पैक के 04 मूल पॉली पैक** वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री अरविन्द कुमार जैन पुत्र श्री छगन लाल महाजन (विक्रेता एवं मालिक) को 300/– रूपये (अक्षरे तीन सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **वनस्पति (रूचि नं. 1) 500 एम.एल. मूल पॉली पैक** को 04 प्लास्टिक के डिब्बो मे अलग–अलग रखकर ढक्कन बंद किया एवं प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये एवं लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1508 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1508 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री अरविन्द कुमार जैन पुत्र श्री छगनलाल महाजन (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/239 दिनांक 25.08.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1108/PHL/kota/Act/2022/1110 दिनांक 05.08.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **वनस्पति (रूचि नं. 1) 500 एम.एल. मूल पॉली पैक** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Substandard)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 30.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया, जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **वनस्पति (रूचि नं. 1) 500 एम.एल. मूल पॉली पैक** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Substandard)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा अप्रार्थी क्रमांक 3 ता 6 की ओर से प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां द्वारा सैम्पल अवैधानिक तरीके से लिया गया है। प्रकरण में खाद्य पदार्थ **वनस्पति (रूचि नं. 1) 500 एम.एल. मूल पॉली पैक** की जांच लेबोरेट्री खाद्य विश्लेषक, कोटा से करवाई गई है जो अधिकृत नहीं है। अप्रार्थीगण को उक्त सैम्पल की दोबारा जांच करवाने का अधिकार है जो हमें नहीं दिया गया। प्रकरण में अप्रार्थी क्रम 1 व 2 हीं जिम्मेदार है जिसमें अप्रार्थी क्रम 3 ता 6 का कोई लेना–देना नहीं है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की गई कार्यवाहीं निरस्त फरमाई जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.24 13:49:01 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि प्रस्तुत परिवाद में सैम्पल वैधानिक तरीके से लिया गया है। एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स, 2011 के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त सैम्पल लेने का पूर्ण अधिकार है। प्रकरण में लेबोरेट्री खाद्य विश्लेषक, कोटा से जांच करवाई गई है जो अधिकृत है। प्रकरण में लेबोरेट्री खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1108/PHL/kota/Act/2022/1110 दिनांक 05.08.2022 प्राप्त होने के पश्चात् अप्रार्थी क्रम 01 व 02 को जर्ये पत्र क्रमांक 239 दिनांक 25.08.2022 से सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है। प्रकरण में अप्रार्थीगण की पूरी श्रृंखला में निर्माता तक का नियम है। अतः अप्रार्थीगण को अधिक जुर्माना राशि से दण्डित किया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **वनस्पति (रूचि नं. 1) 500 एम.एल. मूल पॉली पैक** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1108/PHL/kota/Act/2022/1110 दिनांक 05.08.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Substandard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण को कुल जुर्माना राशि 2,25,000/– रूपये (अक्षरे दो लाख पच्चीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **02.02.2024** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.24 13:49:01 IST
Reason: SelfAttested